राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक : प 7(199) परि/नियम/मु./पार्ट–i/2017/45599 जयपुर, दिनांक 12/10/2017

आदेश

राज्य के विभिन्न परिवहन कार्यालयों से प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा करने पर संज्ञान में आया है कि कई परिवहन कार्यालयों द्वारा बडी संख्या में वाहन डीलर्स/सब–डीलर्स के ट्रेड सर्टिफिकेट इस कारण निलंबित कर दिये गये कि उन्होने अधिकृत पंजीयन अधिकारी बनाये जाने हेतु आवेदन नहीं किया था।

इस समय दीपावली का त्यौहार नजदीक है एवं इतनी बडी संख्या में ट्रेड सर्टिफिकेट के निलंबन से आम जन को असुविधा होना संभावित है।

अतः अगर किसी डीलर का ट्रेड सर्टिफिकेट उपरोक्त कारण से निलंबित किया गया हो एवं ऐसा ट्रेड धारक संबंधित जिला परिवहन अधिकारी के समक्ष अधिकृत पंजीयन अधिकारी बनाये जाने हेतु आवेदन कर देता है तो ऐसे प्रकरणों को जिला परिवहन अधिकारी के स्तर पर ही बहाल (restore) कर दिया जावे।

(शैलेन्द्र कुमार अग्रवाल)
परिवहन आयुक्त एवं
प्रमुख शासन सचिव

क्रमांक : प 7(199) परि/नियम/मु./पार्ट–i/2017/45601-45605 जयपुर, दिनांक 12/10/2017

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन मंत्री, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
4. समस्त प्रादेशिक /जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, सिस्टम एनालिस्ट को वेबसाईट अपडेट करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

12/X

जिला परिवहन अधिकारी (नियम)